[2022] 14 एस. सी. आर. 458

सुनीता पालीता और अन्य

वी.

मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1105)

अगस्त 1,2022

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482 को रद्द करना

कार्यवाही-चेक का अनादर-अभियुक्त सं. द्वारा हस्ताक्षरित खाता प्राप्तकर्ता चेक। 2 , जो देयता के निर्वहन में प्रत्यर्थी के पक्ष में कंपनी का एम. डी. था-चेक के अपमान पर,

प्रत्यर्थी ने यू/एस शिकायत दर्ज की। 138 आर/डब्ल्यू एस। 141 एन. आई. अधिनियम-में

शिकायत, अपीलार्थी जो स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशक थे, उन्हें अभियुक्त नं. 3 5 तक-अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में असफल आवेदन दायर किया s.482 कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईः क्षेत्राधिकार यू / यदि न्याय के हित की आवश्यकता है तो s.482 का प्रयोग किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इनमें से कोई भी अपीलकर्ता अभियुक्त कंपनी का प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक नहीं था और न ही वे उस चेक के हस्ताक्षरकर्ता थे जिसका अपमान किया गया था किसी कंपनी का निदेशक जो संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार नहीं था, यू/एस के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। 139 आर/डब्ल्यू। 141 एन. आई. अधिनियम-अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये अपीलकर्ता स्वतंत्र थे, कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक-उच्च न्यायालय ने आवेदन को अस्वीकार करने में एक अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया। s.482-उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने में कानून में गलती की s.482 अपीलार्थियों को राहत देने के लिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में

कम्पनी अधिनियम, 2013-ss. 2 (47) , 149 और 150-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-एस. एस. 139,141 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. Cr.P.C की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की रक्षा करती है जो ऐसे आदेश देने के लिए आवश्यक हो जो Cr.P.C के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा इसके उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

न्याय। हालांकि यह सच है कि धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और

केवल तभी जब इस तरह का प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है, न्यायालय Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जब ऐसी शक्ति का प्रयोग उक्त धारा में निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

यदि न्याय के हित की आवश्यकता है। [पारस 34 और 35] [473-जी-एच; 747-ए-बी]

2. उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इनमें से कोई भी अपीलकर्ता प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक नहीं था

अभियुक्त कंपनी का। न ही वे उस चेक के हस्ताक्षरकर्ता थे जिसका अपमान किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में अन्य बातों के साथ-साथ अभिनिर्धारित किया गया है, एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत दायित्व उस समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होता है जब अपराध किया गया था, न कि केवल किसी कंपनी में पदनाम या पद धारण करने के आधार पर। निदेशक (कार्मिक), निदेशक (मानव संसाधन विकास) आदि, जो चेक जारी करने या उसके अपमान से भी जुड़े नहीं हैं, उन्हें केवल उनके पदनाम के कारण एन. आई. अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही में घसीटना न्याय का उपहास होगा। [पारस 38 और 42] [474-ई-एफ; 475-ई-जी]

एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला (2005) 8

एससीसी 89 [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 371-अनुसरण किया गया।

अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए उत्तरदायी। इसके अलावा, जब निदेशक के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है कंपनी, जो असम्मानित चेक का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है,

अभिवचनों में विशिष्ट अभिकथन किए जाने चाहिए

शिकायत में इस तर्क की पुष्टि करें कि ऐसा निदेशक कंपनी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, जब तक कि ऐसा निदेशक नामित प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक न हो जो [2022] 14 एस. सी.

स्पष्ट रूप से कंपनी और/या व्यवसाय और मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। [पैरा 43] [475-जी-एच; 476-ए-बी]

पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और

एन. आर. (2014) 16 एससीसी 1: [2014] 14 एससीआर 1468-निर्भर

पर।

के. के. आहूजा बनाम वी. के. वोरा (2009) 10 एससीसी 48: [2009]

9 एस. सी. आर. 1144; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

लिमिटेड वी. हरमीत सिंह पेंटल (2010) 3 एस. सी. सी. 330: [2010]

2 एससीआर 805; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम। विशेष न्यायिक

मजिस्ट्रेट और ओआरएस। (1998) 5 एससीसी 749: [1997] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 12 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 3 पूरक। एससीआर 371

पीछा किया।

पैरा 23

[2009] 9 एससीआर 1144

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[2014] 14 एससीआर 1468

पैरा 29

उस पर भरोसा करें

[2010] 2 एससीआर 805

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[1997] 5 पूरक। एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

1105 2022 तक।

उच्च निगम के 11.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के सी. आर. आर. No.2835 में कलकत्ता का।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , सारस्वत महापात्रा, अक्षत कुम

सुश्री एस. जनानी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दिव्यद्युति बनर्जी, अभिजीत सेनगुप

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील एक निर्णय और दिनांकित आदेश के खिलाफ है।

सितंबर 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन 2018 के सी. आर. आर. No.2835 को खारिज करते हुए धारा 482 सुनीता पालीता और अन्य बनाम के तहत अपीलकर्ताओं को तीसरा, चौथा और पांचवां अभियुक्त होने के नाते दायर किया।

मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जिसे इसके बाद "Cr.P.C". के रूप में संदर्भित किया गया है, मामले सं. ए. सी./121/2017, अन्य बातों के साथ-साथ, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138/141 के तहत, जिसे इसके बाद "एन. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के न्यायालय में अपीलार्थियों के खिलाफ लंबित है। 3. प्रतिवादी मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी, जिसे इसके बाद "पीएसक्यू" के रूप में संदर्भित किया गया है, ने एनआई अधिनियम की धारा 138/141 के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ शिकायत की याचिका दायर की, जिसे पंजीकृत किया गया था।

केस नं. एसी/121/2017।

4. शिकायत की याचिका में, पीएसक्यू ने कंपनी अधिनियम 2013 (इसके बाद "अभियुक्त कंपनी" के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, मेसर्स एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अभियुक्त संख्या 1 के रूप में आरोपित किया। अभियुक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अंजनी कुमार लखोटिया को अभियुक्त संख्या 2 के रूप में आरोपित किया गया और अपीलार्थियों को अभियुक्त संख्या 2 के रूप में आरोपित किया गया। 3 , 4 और 5. अपीलार्थी नं. 1 चौथा अभियुक्त था, अपीलार्थी नं. 2 पाँचवाँ अभियुक्त था और अपीलार्थी नं. 3 तीसरा अभियुक्त था।

5. शिकायत की उक्त याचिका में, पी. एस. क्यू. ने आरोप लगाया "आरोपी संख्या। 2 , 3 , 4 और 5 अभियुक्त संख्या 1 के निदेशक हैं। अर्थात, मेसर्स एमबीएल

इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्रमशः [और] अभियुक्त नंबर 1 के दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

6. अभियुक्त कंपनी ने स्टोन डस्ट और स्टोन एग्रीगेट की खरीद के लिए अलग-अलग तारीखों पर पी. एस. क्यू. को ऑर्डर दिए। अभियुक्त कंपनी द्वारा दिनांकित 24.12.2015,25.05.2016,07.01.2016 और 09.04.2016 खरीद आदेश जारी किए गए थे, जिसमें उनकी दरों और मात्रा के साथ आपूर्ति करने के लिए आवश्यक सामग्री निर्दिष्ट की गई थी।

7. उपरोक्त खरीद आदेशों के अनुसार, पीएसक्यू ने अभियुक्त कंपनी को सामग्री की आपूर्ति की और कुल बिल जुटाए। अभियुक्त कंपनी पर रु. 2,31,60,674/- (दो करोड़, इकतीस लाख, साठ हजार, छह सौ चौत्तर मात्र)।

8. अभियुक्त कंपनी पर पीएसक्यू द्वारा उठाए गए बिलों के खिलाफ अपनी देनदारी के निर्वहन में, अभियुक्त कंपनी ने एक खाता प्राप्तकर्ता जारी किया था

रुपये की राशि के लिए 15 मार्च 2017 का चेक No.001174 है। 1,71,08,512 / - (पी. एस. क्यू. के पक्ष में कोलकाता में कोटक महिंद्रा बैंक की पार्क स्ट्रीट शाखा में एक करोड़, इकत्तर लाख, आठ हजार, पाँच सौ बारह रुपये) निकाले गए।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. यह विवाद में नहीं है कि अभियुक्त संख्या 2-अंजनी कुमार लखोटिया अभियुक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। उक्त आरोपी नंबर 2, अंजनी कुमार लखोटिया ने उक्त चेक पर हस्ताक्षर किए।

10. शिकायत की याचिका में यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी अभियुक्त संख्या हैं। 3 , 4 और 5 निदेशक थे अभियुक्त कंपनी और अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार। यह कथन किसी भी विवरण से रहित है।

11. 10 अप्रैल 2017 को, पीएसक्यू ने नकदीकरण के लिए अपने बैंक में चेक जमा किया, लेकिन अनुमोदन के साथ चेक का अपमान किया गया।

12. यह आरोप लगाते हुए कि अभियुक्त कंपनी ने असम्मानित चेक की राशि, यानी रु. 1,71,08,512/- (रु. एक करोड़, 71 लाख, आठ हजार, पाँच सौ बारह केवल) का भुगतान निर्धारित समय के भीतर पीएसक्यू को नहीं किया था, पीएसक्यू ने अपने मालिक के माध्यम से एनआई अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत उपरोक्त शिकायत दर्ज की। 13. 13 जुलाई 2017 के एक आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम ने याचिका को एक शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया, और संज्ञान लेने के बाद, अभियुक्त को समन जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें अभियुक्त को याचिका सौदेबाजी अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। केस रिकॉर्ड को न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम की फाइल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। उसी दिन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल ने मुकदमे और निपटारे के लिए मामले के रिकॉर्ड प्राप्त किए।

14. 26 मार्च 2018 को अभियुक्त वकीलों के माध्यम से पेश हुए और Cr.P.C की धारा 205 के तहत और धारा के तहत याचिकाएं दायर कीं।

305 Cr.P.C की धारा 205 और Cr.P.C की धारा 305 नीचे दी गई हैं:

" धारा 205। मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से छूट दे सकते हैं

अभियुक्त की उपस्थिति। - (1) जब भी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, वह ऐसा करने का कारण देखता है, तो आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है।

उसके वकील द्वारा प्रकट होता है।

(2) लेकिन मामले की जांच या सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट, अपने विवेकाधिकार पर, कार्यवाही के किसी भी चरण में, अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो इस तरह की उपस्थिति को पहले दिए गए तरीके से लागू कर सकता है।

***

" धारा 305। प्रक्रिया जब निगम या पंजीकृत सोसायटी अभियुक्त हो। - (1) इस धारा में, "निगम" का अर्थ है एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय, और इसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी शामिल है। (2) जहां कोई निगम किसी जांच या मुकदमे में आरोपी व्यक्ति या आरोपी व्यक्तियों में से एक है, वह जांच या मुकदमे के उद्देश्य से एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुहर के तहत होने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है, वहाँ इस संहिता की कोई आवश्यकता है कि कुछ भी अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा या पढ़ा या कहा या समझाया जाएगा।

अभियुक्त के लिए, एक आवश्यकता के रूप में समझा जाएगा कि बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी या प्रतिनिधि को पढ़ी जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, और किसी भी आवश्यकता के रूप में माना जाएगा कि अभियुक्त की जाँच की जाएगी कि प्रतिनिधि की जाँच की जाएगी।

(4) जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, वहाँ ऐसी कोई आवश्यकता जो उप-धारा (3) में निर्दिष्ट है,

लागू नहीं होता है।

(5) जहाँ निगम के प्रबंध निदेशक या किसी व्यक्ति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए) द्वारा हस्ताक्षरित होने का आशय रखने वाला लिखित बयान, या व्यक्तियों में से एक होना।

निगम के कार्यों का प्रबंधन इस प्रभाव से होने पर कि विवरण में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायालय, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह मान लेगा कि ऐसा व्यक्ति इस तरह से नियुक्त किया गया था।

(6) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति, किसी जांच या मुकदमे में निगम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है [2022] 14 एस. सी. आर.

न्यायालय के प्रतिनिधि होने या न होने के समक्ष, प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

15. 9 जुलाई 2018 के एक आदेश द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, दूसरा न्यायालय, सूरी, बीरभूम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को समाप्त करने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ताओं ने अभियुक्तों को 20 अगस्त 2018 को पेश होने का निर्देश दिया।

16. 26 मार्च 2018 को मामले को सुनवाई के लिए 16 मई 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई अलग-अलग तारीखों पर हुई और अंततः

आदेश के लिए इसे 9 जुलाई 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 9 जुलाई 2018 के एक आदेश द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम ने अभियुक्त व्यक्तियों की अनुपस्थिति में Cr.P.C की धारा 305 और 205 के तहत याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को उचित कार्यवाही का सामना करने के लिए अगली तारीख 20 अगस्त 2018 को अदालत में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

17. अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि धारा 138 के तहत मामले No.AC.121/2017 की कार्यवाही के साथ पढ़ा जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी के न्यायालय में लंबित एन. आई. अधिनियम की धारा 141 को रद्द कर दिया जाए और इस तरह के आदेश के लंबित रहने तक उक्त मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए। 18. उच्च न्यायालय में, यह तर्क दिया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी ने Cr.P.C की धारा 205 के तहत आवेदन पर विचार किया।

इस बात पर विचार किए बिना कि क्या कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता या क्या उनकी अनुपस्थिति के कारण मुकदमे की प्रगति में बाधा आने की संभावना थी।

19. इस अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने संविधान की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया।

Cr.P.C. पीड़ित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे अभियुक्त कंपनी के स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक हैं, जो किसी भी तरह से अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। 20. अपीलार्थियों की ओर से पेश श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आई. डी. 1 की धारा 205 किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है, जब तक कि उसकी उपस्थिति आवश्यक न समझी जाए। आई. डी. 1. की धारा 205 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, मजिस्ट्रेट को मामले की प्रकृति के साथ-साथ बुलाए गए व्यक्तियों के आचरण को भी ध्यान में रखना होगा। मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दे सकता है, जहां कोई उपयोगी सुनीता पालीता और अन्य बनाम।

मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी

अभियुक्त, या जहाँ उसकी अनुपस्थिति के कारण मुकदमे की प्रगति बाधित होने की संभावना थी।

प्रतिनिधित्व किया। मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य की अनदेखी की कि अभियुक्त कंपनी का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा रहा था। 22. श्री लूथरा ने आगे तर्क दिया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो प्रत्यावर्ती दायित्व पैदा करता है, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। शिकायत में केवल यह कथन कि अपीलकर्ता बिना किसी विशिष्टता के अभियुक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए अभियुक्त कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार थे

अपीलार्थियों की भूमिका, उक्त अधिनियम की धारा 141 के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं थी।

23. एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम श्री लूथरा द्वारा उद्धृत, इस न्यायालय ने कहाः

" 10. अधिनियम की धारा 141 का विश्लेषण करते समय यह देखा जाएगा कि यह उन मामलों में काम करता है जहां धारा 138 के तहत कोई अपराध होता है।

एक कंपनी द्वारा प्रतिबद्ध है। इस खंड में आने वाले मुख्य शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" हैं। ये सामान्य शब्द हैं और किसी कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायरे में लेते हैं। इसलिए, इन शब्दों को उपयोग करके उचित रूप से योग्य बनाया गया है

वे शब्दः

" अपराध किए जाने के समय कौन कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था,

अपराध आदि का दोषी माना जाएगा। '

यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को धारा 141 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने की मांग की जाती है, वे अपराध किए जाने के समय, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार होने चाहिए। कंपनी से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। केवल वही व्यक्ति हैं जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, जो

आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इससे यह पता चलता है कि यदि किसी कंपनी का निदेशक जो संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था और जिम्मेदार नहीं था, तो वह प्रावधान के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। देयता उस समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होती है जब अपराध किया गया था और न कि केवल किसी कंपनी में पद या पद धारण करने के आधार पर। इसके विपरीत, एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में कोई पद या पद नहीं रखता है, वह उत्तरदायी हो सकता है यदि वह किसी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने की मुख्य आवश्यकता को पूरा करता है।

उपयुक्त समय पर कंपनी। दायित्व भूमिका एक पर निर्भर करता है।

कंपनी के मामलों में खेलता है न कि पदनाम या स्थिति पर। यदि निदेशक या प्रबंधक या सचिव होना आपराधिक दायित्व डालने के लिए पर्याप्त था, तो धारा ने ऐसा कहा होगा। "प्रत्येक व्यक्ति" के बजाय अनुभाग ने कहा होगा कि "किसी कंपनी में प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव उत्तरदायी है"., आदि। द.

विधायिका इस बात से अवगत है कि यह आपराधिक दायित्व का मामला है जिसका अर्थ है गंभीर परिणाम जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिसे उत्तरदायी बनाया जाना है। इसलिए, केवल वे व्यक्ति जो हो सकते हैं

कहा जाता है कि वह अपराध करने से जुड़ा हुआ है

प्रासंगिक समय पर कार्रवाई की गई है।

24. श्री लूथरा ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलकर्ता अभियुक्त कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशक हैं और किसी भी तरह से अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे निदेशकों को किसी विशेष विषय में उनकी विशेषज्ञता या विशेष ज्ञान के लिए कंपनी में शामिल किया जाता है। वे प्रभारी नहीं हैं कंपनी का प्रबंधन।

25. श्री लूथरा ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था

निर्विवाद दस्तावेज, विशेष रूप से, प्रपत्र सं। अपीलार्थी संख्या 1 का डी. आई. आर.-12 और अपीलार्थी संख्या 3, और अपीलार्थी संख्या 2 का डी. आर. आई. प्रपत्र <आई. डी. 2, जिसमें संबंधित अपीलार्थी की स्थिति गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2014 के रूप में दर्शाई गई है। अपीलार्थी गैर हैं

कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, शिकायत मामला सं. उनके खिलाफ ए. सी./121/2017 रद्द कर दिया गया।

26. श्री लूथरा ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (47) और धारा 149 का उल्लेख किया, जो स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित हैं। सुविधा के लिए नीचे निकाला गया हैः

UNITA PALITA और अन्य बनाम। मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

" 2. परिभाषाएँः .....

(47) " "स्वतंत्र निदेशक" से धारा 149 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट एक स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है;

*** 149. कंपनी का निदेशक मंडल होगाः

(6) एक कंपनी के संबंध में एक स्वतंत्र निदेशक का अर्थ है एक प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक या एक नामित निदेशक के अलावा एक निदेशक, (क) जो बोर्ड की राय में एक ईमानदार व्यक्ति है और उसके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है;

(ख) (i) जो कंपनी या उसके प्रवर्तक हैं या नहीं थे।

होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी; ((ii) जो कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी में प्रवर्तकों या निदेशकों से संबंधित नहीं है;

(ग) जिसका निदेशक के रूप में पारिश्रमिक के अलावा कोई आर्थिक संबंध है या जिसका अपनी कुल आय या ऐसी राशि का दस प्रतिशत से अधिक लेन-देन नहीं है जो निर्धारित की जाए, कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी, या उनके प्रवर्तकों या निदेशकों के साथ, ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्त वर्ष के दौरान;

((घ) जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है।

(i) दोनों के दौरान कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी की कोई प्रतिभूति या हित रखता है।

तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष के दौरानः बशर्ते कि रिश्तेदार पचास लाख रुपये या दो प्रतिशत से अधिक अंकित मूल्य की कंपनी में प्रतिभूति या ब्याज रख सकता है। कंपनी की चुकता पूंजी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी या ऐसी उच्च राशि जो निर्धारित की जाए;

((ii) कंपनी, उसकी हिस्सेदारी, सहायक कंपनी या उसके प्रति ऋणी है।

सहयोगी कंपनी या उनके प्रवर्तक, या निदेशक, ऐसी राशि से अधिक जो दोनों [2022] 14 एस. सी. आर. के दौरान निर्धारित की जा सकती है।

वित्तीय वर्षों से तुरंत पहले या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान;

((ग) कंपनी, उसकी धारक, सहायक या सहयोगी कंपनी या उनके प्रवर्तकों या ऐसी धारक कंपनी के निदेशकों को किसी तीसरे व्यक्ति के ऋण के संबंध में गारंटी दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान की है, ऐसी राशि के लिए जो तुरंत पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित की जा सकती है;

या

((iv) कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी के साथ कोई अन्य आर्थिक लेनदेन या संबंध है।

उपखंड (i), (ii) या (iii) में निर्दिष्ट लेन-देनों के साथ अकेले या संयोजन में अपने सकल कारोबार या कुल आय का दो प्रतिशत या उससे अधिक राशि वाली कंपनी;

(ई) जो, न तो स्वयं और न ही उसका कोई रिश्तेदार

(i) एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी का पद धारण किया है या किया है या कंपनी या उसके कर्मचारी हैं या रहे हैं।

उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी जिसमें उसे नियुक्त करने का प्रस्ताव है:

बशर्ते कि किसी रिश्तेदार के मामले में जो एक कर्मचारी है, इस खंड के तहत प्रतिबंध पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसके रोजगार के लिए लागू नहीं होगा।

((ii) इससे ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में कर्मचारी या मालिक या भागीदार रहा है या रहा है।

वित्तीय वर्ष जिसमें उन्हें नियुक्त करने का प्रस्ताव है,

(ए) व्यवहार में लेखा परीक्षकों या कंपनी सचिवों की एक फर्म या कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के लागत लेखा परीक्षक; या (बी) कोई कानूनी या परामर्श फर्म जिसने कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या उसके साथ कोई लेनदेन किया है या किया है।

ऐसी फर्म के सकल कारोबार का दस प्रतिशत या उससे अधिक राशि वाली सहयोगी कंपनी;

(iii) अपने रिश्तेदारों के साथ कंपनी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा रखता है; या UNITA PALITA और अन्य v.

मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

((iv) किसी भी गैर-लाभकारी संगठन का मुख्य कार्यकारी या निदेशक, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, जो कंपनी, उसके किसी भी प्रवर्तक, निदेशक या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी से अपनी प्राप्तियों का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता है या जो कुल मतदान का दो प्रतिशत या उससे अधिक रखता है।

कंपनी की शक्ति; या

(च) जिसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ हैं जो हो सकती हैं -

निर्धारित किया गया '।

27. श्री लूथरा ने कंपनियों की धारा 150 का भी उल्लेख किया है।

2013 जिसे नीचे दिया गया है:

150. स्वतंत्र निदेशकों के चयन का तरीका और

स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक का रखरखाव। - (1) धारा 149 की उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अधीन, एक स्वतंत्र निदेशक का चयन किया जा सकता है -

नाम, पता और योग्यता वाला डेटा बैंक

ऐसे व्यक्ति जो किसी भी निकाय, संस्थान या संघ द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं,

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार,

इस तरह के डेटा बैंक के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता और कंपनी द्वारा उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर डालना

ऐसे निदेशकों की नियुक्ति:

बशर्ते कि ऊपर निर्दिष्ट डेटा बैंक से किसी व्यक्ति को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुनने से पहले उचित परिश्रम करने की जिम्मेदारी बनाने वाली कंपनी की होगी। ऐसी नियुक्ति।

(2) धारा 152 और उक्त नियुक्ति पर विचार करने के लिए बुलाई गई आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियुक्त व्यक्ति को चुनने के औचित्य का संकेत देगा। (3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट डेटा बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के डेटा का निर्माण और रखरखाव करेगा।

निदेशक ऐसे नियमों के अनुसार जो निर्धारित किए जाएं।

(4) केंद्र सरकार धारा 149 के तहत निर्दिष्ट योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्वतंत्र निदेशकों के चयन का तरीका और प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।

28. के. के. आहूजा बनाम वी. के. वोरा 2 इस न्यायालय ने किसी कंपनी के अधिकारियों के प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांतों पर चर्चा की एक चेक की संख्या और आयोजितः -

" 27. अधिनियम की धारा 141 के तहत स्थिति हो सकती है -

संक्षेप में इस प्रकार हैः

(i) यदि अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक है।

निदेशक, में एक कथन करना आवश्यक नहीं है

शिकायत है कि वह कंपनी के प्रभारी है, और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी है। यह पर्याप्त है यदि एक दावा किया जाता है कि अभियुक्त था

संबंधित समय पर प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक। ऐसा इसलिए है क्योंकि "निदेशक" शब्द के उपसर्ग "प्रबंध" से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी थे और कंपनी के प्रति जिम्मेदार हैं।

कंपनी से।

((ii) कंपनी की ओर से चेक पर हस्ताक्षर करने वाले कंपनी के निदेशक या अधिकारी के मामले में, यह विशिष्ट कथन करने की आवश्यकता नहीं है कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था या सहमति, मिलीभगत या लापरवाही के बारे में कोई विशिष्ट आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि

असम्मानित चेक पर उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए थे

कंपनी, उप-धारा के तहत जिम्मेदारी को जन्म देगी (2) धारा 141।

((ग) निदेशक, सचिव या प्रबंधक [कंपनी अधिनियम की धारा 2 (24) में परिभाषित] या कंपनी अधिनियम की धारा 5 के खंड (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, शिकायत में एक कथन कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी था, और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, मामले को धारा के तहत लाने के लिए आवश्यक है।

141 (1) अधिनियम से। शिकायत में आगे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि कुछ विवरण वांछनीय होंगे। सहमति और मिलीभगत से संबंधित आवश्यक अभिकथन करके उन्हें धारा 141 (2) के तहत भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है या

लापरवाही, शिकायत में, मामले को उसके तहत लाने के लिए

उप-अनुभाग।

9) 10 SCC 48 UNITA PALITA & OTHERS v. मेसर्स पंचमी स्टोन

क्कारी [इंदिरा बनर्जी, जे।]

((iv) किसी कंपनी के अन्य अधिकारियों को धारा 141 की उप-धारा (1) के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। एक कंपनी के अन्य अधिकारी

धारा 141 की उप-धारा (2) के तहत ही शिकायत में उनकी स्थिति और कर्तव्यों को दरकिनार करके उत्तरदायी बनाया जा सकता है। कंपनी और मुद्दे और अपमान के संबंध में उनकी भूमिका

चेक, सहमति, मिलीभगत या लापरवाही का खुलासा करना।

29. पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

Anr.3 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. ..... गैर-कार्यकारी निदेशक निस्संदेह कंपनी के शासन का संरक्षक होता है, लेकिन वह अपने व्यवसाय के संचालन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं होता है और केवल कार्यकारी गतिविधि की निगरानी करता है। किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित करने के लिए, उस भौतिक समय पर वह व्यक्ति कंपनी के मामलों के शीर्ष पर रहा होगा,

जो सक्रिय रूप से दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल करते हैं

कंपनी और विशेष रूप से संचालन के लिए जिम्मेदार है

उसका व्यवसाय। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति एक का निदेशक है

कंपनी, उसे एन. आई. अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं बनाती है। कंपनी से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। बार-बार इस पर जोर दिया गया है

न्यायालय ने कहा कि केवल वे व्यक्ति जो प्रभारी थे और

आपराधिक कार्रवाई। एक निदेशक, जो व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी नहीं था और जिम्मेदार नहीं था प्रासंगिक समय पर कंपनी एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में। [राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। लिमिटेड वी. हरमीत सिंह पेंटल (2010) 3 एस. सी. सी. 330: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 677: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1113] इस न्यायालय ने कहाः (एस. सी. सी पी. 336 ,

पैरा 13-14)

" 13. धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो प्रत्यावर्ती दायित्व पैदा करता है, और जिसका, तय किए गए कानून के अनुसार, सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसलिए, एक शिकायत में एक गंजा सरसरी बयान देना पर्याप्त नहीं है कि निदेशक (एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत) के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी

कंपनी की भूमिका के बारे में और कुछ नहीं

निर्देशक। लेकिन शिकायत में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी 1 अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अभियुक्त कंपनी का प्रभारी कैसे और किस तरह से था या उसके प्रति उत्तरदायी था। यह सख्त व्याख्या के अनुरूप है

दंडात्मक कानून, विशेष रूप से, जहां ऐसे कानून बनाए जाते हैं

प्रत्यावर्ती दायित्व।

14. एक कंपनी में कई निदेशक हो सकते हैं और

केवल इस कथन के आधार पर कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, किसी भी शिकायत में किसी भी या सभी निदेशकों को अभियुक्त बनाना धारा के तहत आवश्यकताओं की पर्याप्त या पर्याप्त पूर्ति नहीं है।

141. "

***

18. गिरधारी लाल गुप्ता बनाम। डी. एच. मेहता [गिरधारी लाल]

गुप्ता बनाम। डी. एच. मेहता (1971) 3 एस. सी. सी. 189: 1971 एससीसी (सीआरआई) 279: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2162], इस न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति

" व्यवसाय के प्रभारी का अर्थ है कि व्यक्ति को कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में होना चाहिए।

19. कंपनी का निदेशक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था या यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध के साथ किया गया था।

सहमति या मिलीभगत, या किसी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था

20. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यह है कि किसी कंपनी के निदेशक को अपराधों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए एन. आई. की धारा 141 के तहत कंपनी द्वारा प्रतिबद्ध

अधिनियम, निदेशक के खिलाफ विशिष्ट कथन होने चाहिए

यह दिखाना कि निर्देशक कैसे और किस तरह से था

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार।

30. जैसा कि के. के. आहूजा बनाम में माना गया है। वी. के. वोरा (ऊपर) जब किसी कंपनी का अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक होता है, तो वह सुनीता पालीता और अन्य बनाम।

मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

शिकायत में यह कहना आवश्यक नहीं है कि वह

31. सुनवाई के दौरान श्री लूथरा ने धारा 7 के तहत अभियुक्त कंपनी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर जोर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, जिसे इसके बाद "आई. बी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है।

32. 30 मार्च 2017 के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ, जिसे इसके बाद - " एन. सी. एल. टी. ने अभियुक्त कंपनी के प्रशासन के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) की नियुक्ति के लिए अभियुक्त कंपनी के एक वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को कानून के संचालन द्वारा निलंबित कर दिया गया था। जब अपमान की वैधानिक सूचना

अपीलार्थियों को भेजा गया था, अभियुक्त कंपनी का प्रबंधन आई. आर. पी. द्वारा ले लिया गया था। 33. यह कहा गया है कि पी. एस. क्यू. ने आई. बी. सी. के तहत उपचार का लाभ उठाया था और आई. आर. पी. के समक्ष अपना दावा दायर किया था, जो अब एक स्वीकृत प्रावधान का हिस्सा है।

अभियुक्त कंपनी की समाधान योजना। इसलिए, पी. एस. क्यू. का भुगतान स्वीकृत समाधान योजना के संदर्भ में किया जाएगा। श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त कंपनी की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा बरकरार रखा गया था। समाधान योजना के खिलाफ सभी अपीलों को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

34. Cr.P.C की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की रक्षा करती है कि वह ऐसे आदेश दे जो प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं - Cr.P.C के तहत कोई आदेश या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

35. हालांकि यह सच है कि धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का प्रयोग धारा, [2022] 14 एस. सी. आर. में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है।

न्यायालय आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जब ऐसी शक्ति का प्रयोग उक्त धारा में निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। यदि न्याय के हित की आवश्यकता है तो Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने यह भी उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि केवल निदेशक होने के नाते कंपनी धारा 141 के तहत व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एन. आई. अधिनियम। एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकता यह थी कि जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

37. उच्च न्यायालय ने यह भी उचित निर्णय दिया कि प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक निश्चित रूप से कंपनी के प्रभारी होंगे और प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पद के आधार पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। ये व्यक्ति संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं

कंपनी का व्यवसाय और वे एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत आते हैं। एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत चेक का हस्ताक्षरकर्ता स्पष्ट रूप से उत्तरदायी होता है।

अभियुक्त कंपनी का। न ही वे उस चेक के हस्ताक्षरकर्ता थे जिसका अपमान किया गया था। 39. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी शिकायत को खारिज करने के लिए अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि चेकों के उछलने को रोकने और उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने का प्रशंसनीय उद्देश्य

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और 141 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप होने वाले वाणिज्यिक लेनदेन को ध्यान में रखना होगा। जिन लोगों को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया है, जिनका शिकायत में कथित अपराध के संबंध में कोई आपराधिक दायित्व नहीं है, उन्हें आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत राहत देने से इनकार करने के लिए एक शिकायत को अति तकनीकी दृष्टिकोण के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के प्रावधान एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के दायरे में आने वालों के खिलाफ बेईमानी का एक वैधानिक अनुमान बनाते हैं और उन्हें आपराधिक सुनीता पालीता और अन्य बनाम के लिए उजागर करते हैं।

देयता, यदि भुगतान वैधानिक अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो नोटिस जारी होने के बाद भी।

40. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रद्द करने की शक्ति है

संयम से अभ्यास करने की आवश्यकता है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने पाया कि भले ही शिकायत के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में उपयोग किए गए सटीक शब्दों का शिकायत में उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन शिकायत में आवश्यक अभिवचन थे।

41. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय लेते समय एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत, चेक के उछाल को रोकने और वाणिज्यिक की विश्वसनीयता को बनाए रखने का प्रशंसनीय उद्देश्य

और जब किसी कंपनी की ओर से चेक जारी किया जाता है, तो वे व्यक्ति भी जो कंपनी या उसके व्यवसाय के प्रभारी या जिम्मेदार होते हैं। कंपनी। कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आता है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सीमा। 42. एक कंपनी का निदेशक जो संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार नहीं था,

उन प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत देयता अपराध किए जाने के प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होती है, न कि केवल किसी कंपनी में पदनाम या पद धारण करने के आधार पर। निदेशकों को खींचना न्याय का उपहास होगा, जो एक जारी करने से भी जुड़े नहीं हो सकते हैं

निदेशक (कार्मिक), निदेशक (मानव संसाधन विकास) आदि को केवल उनके पदनाम के कारण एन. आई. अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही में शामिल किया जाता है।

43. देयता किसी कंपनी के मामलों में किसी की भूमिका पर निर्भर करती है न कि केवल पदनाम या स्थिति पर जैसा कि इस न्यायालय ने एस. एम. एस. में अभिनिर्धारित किया है।

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर)। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये अपीलार्थी कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशक थे। जैसा कि इस न्यायालय ने पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम में अभिनिर्धारित किया है। राज्य

महाराष्ट्र और अन्र. (उपर्युक्त) एक गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों या उसके व्यवसाय के संचालन में शामिल नहीं है। ऐसा निदेशक किसी भी तरह से दिन-प्रतिदिन [2022] 14 एस. सी. आर. के लिए जिम्मेदार नहीं है।

अभियुक्त कंपनी को चलाना। इसके अलावा, जब कंपनी के किसी निदेशक के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, जो असम्मानित चेक का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो शिकायत में इस तर्क को साबित करने के लिए अभिवचनों में विशिष्ट अभिकथन किए जाने चाहिए कि ऐसा निदेशक कंपनी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, जब तक कि ऐसा निदेशक नामित प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक न हो जो स्पष्ट रूप से कंपनी और/या उसके व्यवसाय और मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

44. उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया गया था-वह कंपनी जिसने अपराध किया जैसा कि आरोप लगाया गया था; हर कोई जो कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी था या उसके लिए जिम्मेदार था और कोई अन्य व्यक्ति जो कंपनी का निदेशक या प्रबंधक या सचिव या अधिकारी था जिसकी मिलीभगत से या जिसकी उपेक्षा के कारण कंपनी ने अपराध किया था।

45. भले ही उच्च न्यायालय ने आपराधिक को रद्द करने के लिए अभिवचनों का अर्थ लगाने में एक अति तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाने की निंदा की

कार्यवाहियों में, उच्च न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज करने में एक अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया। शिकायत में औपचारिक अभिवचनों को पढ़ना, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सामग्री का समर्थन करना, बिना किसी विवरण के। उच्च न्यायालय ने जिस बात की अनदेखी की, वह यह थी कि इन अपीलार्थियों का यह तर्क कि वे अभिलेख पर निर्विवाद सामग्री के आधार पर अभियुक्त कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में यह विशेष रूप से कहा गया था कि सभी अभियुक्त व्यक्ति अभियुक्त कंपनी के पूरे व्यावसायिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी थे, और यह विचार रखा कि शिकायत में दिए गए कथन एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे।

46. जैसा कि इस न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम. हरमीत सिंह पेंटल ने पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम मामले में इस अदालत के बाद के फैसले में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। महाराष्ट्र राज्य और अन्र। (उपर्युक्त) अभियुक्त कंपनी के सभी निदेशकों को इस कथन के आधार पर आरोपित करना कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4 (2010) 3 एस. सी. सी. 330 सुनीता पालीता और अन्य बनाम। मेसर्स पंचमी स्टोन क्वारी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

47. जब कंपनी ने एक अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की थी, तो किसी भी स्थिति में अपीलार्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त नहीं करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और Ors.5 एक अभियुक्त व्यक्ति को बुलाने का सहारा निश्चित रूप से नहीं लिया जा सकता है और आदेश को समझदारी से लागू होना चाहिए।

48. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने तथ्यों में Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करके कानूनी रूप से गलती की।

और अपीलार्थियों को राहत देने के लिए इस मामले की परिस्थितियाँ।

49. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। आपराधिक मामला नं.

जहां तक इन अपीलार्थियों का संबंध है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम में एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत लंबित ए. सी./121/2017 को रद्द कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आपराधिक मामले में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही जारी रह सकती है, जिसमें विशेष रूप से अभियुक्त कंपनी, इसका प्रबंधन शामिल है।

निदेशक/अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और/या विचाराधीन चेक का हस्ताक्षरकर्ता। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

5 (1998) 5 एस. सी. सी. 749